

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन - शाखा) मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन भोपाल  
 क्रमांक/निर्व/काष्ठ/ (1422.. भोपाल, दिनांक 8/11/21  
 प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक  
 मध्यप्रदेश।


विषय:- काष्ठागारों में वनोपज नीलाम।

—00—

इस कार्यालय के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कतिपय काष्ठागारों में वनोपज का नीलाम देर रात्रि तक जारी रखा जाता है। यह प्रक्रिया उचित नहीं है।

नीलाम प्रक्रिया प्रातः 9.00 बजे से प्रारंभ कर शाम के पहले समाप्त कर दी जावे। किसी भी परिस्थिति में नीलाग की कार्यवाही शाम के बाद जारी न रखी जावे। यदि लॉटों की संख्या वनोपज की मात्रा अधिक हो तो अगले दिन भी नीलाम रखा जावे।

काष्ठागारों में जलाऊ चट्टों की नीलामी इमारती लकड़ी की नीलामी समाप्त होने के बाद की जाती है जिससे जलाऊ लकड़ी के कंटाओं में अनिश्चितता बनी रहती है कि यह नीलामी कब होगी। अतः यह निर्देशित किया जाता है कि इमारती लकड़ी की नीलामी के प्रथम दिन भोजन अवकाश के बाद अपराह्न 3.00 बजे जलाऊ लकड़ी की नीलामी की जावे तथा इसका उल्लेख नीलाम विज्ञापन में स्पष्ट किया जावे।

  
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)  
 मध्यप्रदेश भोपाल